जा.क्र० 612/2002
16/08/02

XXX-Part.—21

रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

छत्तीसगढ़ शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक छ. ग. राज्य – 208

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऑल इंडिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी (आईसेक्ट)

समिति जो 1 तृप्ति अपार्टमेंट, शाह नर्सिंग होम के सामने शंकर नगर रायपुर, छ. ग. तहसील रायपुर ,

जिला रायपुर में स्थित है, छत्तीसगढ़

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44)

के अधीन 14/8/2002 को पंजीयित की गई है ।

दिनांक चौदह माह अगस्त सन् 2002

पंजीयक संस्थाएँ मुद्रा छत्तीसगढ़ शासन

(एस. के. तिवारी)
समितियों के रजिस्ट्रार
फर्मस एवं संस्थाएँ
छत्तीसगढ़

जापक क्रमांक 642/02
28/8/2002

सोसायटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए सोसाइटी का ज्ञापन

1. संस्था का नाम ऑल इंडिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी (आईसेक्ट) होगा

2. सोसाइटी का प्रधान कार्यालय रायपुर तहसील रायपुर जिला रायपुर में स्थित होगा. और इसका पता 1 सृष्टि अपार्टमेंट, शाह नर्सिंग होम के सामने, शंकर नगर रायपुर (छत्तीसगढ़) होगा।

3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे -

   1. इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटर एवं नई तकनीक के उपयोग से संबंधित जानकारी का साधारण जनता में प्रचार प्रसार करना।

   2. स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को इलेक्ट्रानिक्स कम्प्यूटर एवं नई तकनीक से संबंधित विषयों की जानकारी देना।

   3. प्रदर्शनी, सेमीनार और प्रचार माध्यमों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर एवं नई तकनीक के उपयोग की जानकारी देना।

   4. पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटर एवं नई तकनीक संबंधी ज्ञान देना।

   5. इच्छुक व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटर इत्यादि के चयन विकास इत्यादि के बारे में जानकारी देना।

   6. इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर एवं तकनीक विषयों पर पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।

   7. ऑडियो और वीडियो साधनों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर एवं नई तकनीक से संबंधित विषयों का प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षण देना।

   8. इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर नई तकनीक एवं व्यावसायिक शिक्षण के लिये केन्द्रों स्कूलों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय की स्थापना करना एवं उनके उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना।

   9. महिलाओं और बच्चों के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर एवं नई तकनीक के प्रशिक्षण तथा प्रचार के प्रसार करना।

   10. आदिवासियों, हरिजनों अल्पसंख्यकों और कमजोर तबकों के बीच तकनीक के प्रचार एवं प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था करना।

   11. ग्रामीण क्षेत्रों में नई तकनीक के प्रचार प्रसार के विशेष प्रयास करना।

   12. नई तकनीकों के क्षेत्र में शोध विकास एवं सलाहकार सेवायें प्रदान करना।

   13. समान उद्देश्यों वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंध स्थापित करना और उनके तथा अपने सदस्यों के बीच लिंक के रुप में काम करना।

यह पंजीयन के समय प्रस्तुत की गई ज्ञापन की प्रति है। प्रबंध समिति की प्रमाणित प्रति नहीं है।

4. सोसायटी के कामकाज का प्रबंध, सोसाइटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, परिषद, संचालकों समिति या शासी निकास को सौंपा गया है/ जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई है।

अनुक्रमांक	नाम	पता	उपजीविका
(1)	(2)	(4)	(5)
1	डॉ. संध्या चतुर्वेदी	एम.आई.जी. 34 इंदिरा नगर कल्याण पुर कानपुर (उ.प्र.)	प्रोफेसर ज्वाला देवी महाविद्यालय कानपुर (उ.प'.)
2	श्री अनुराग सीठा	जूनियर एम.आई.जी 6/7 अंकुर काम्प्लेक्स भोपाल (म.प्र.)	सीनियर कम्प्यूटर प्रोग्रामर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल
3	श्री संतोष चौबे	22/E-7 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)	निदेशक स्कोप कॉलेज भोपाल (म.प्र.)
4	श्रीमती विनीता देवी	E-8/54 भरत नगर शाहपुरा भोपाल	संपादक, इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिये भोपाल
5	श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी	प्लॉट नं. 7 सेवाय सावन होशंगाबाद रोड भोपाल (म.प्र.)	निदेशक सेक्ट इन्फोटेक लिमिटेड भोपाल
6	श्री अमिताभ सक्सेना	पी-8 श्रीराम नगर फेस II जैन मंदिर के सामने टी.वी. टावर रोड शंकर नगर रायपुर (छत्तीसगढ़)	वरिष्ठ प्रबंधक, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र, रायपुर
7	श्री राजेश तिवारी	D-18 सेक्टर 2 देवेंद्र नगर, रायपुर, (छत्तीसगढ़)	वरिष्ठ प्रबंधक राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र, रायपुर
8	श्रीमती संगीता	A-78 आर्यनगर सोसायटी प्लॉट नं 91 इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन पटपड़गंज नई दिल्ली	संयोजक, नेशनल ओपन स्कूल नई दिल्ली

पंजीयक संस्थाएँ छत्तीसगढ़ शासन

यह पंजीयन के समय प्रस्तुत की गई शपथ की प्रति है। प्रबंध समिति की प्रमाणित प्रति नहीं है।

5. मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित सोसाइटी के विनियम का सम्यक रुप से प्रमाणित एक प्रति इस प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ फाइल की गई है. हम विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे गए हैं, उपरोक्त प्रतिष्ठान ज्ञापन के अनुसरण में सोसाइटी बनाने के इच्छुक हैं और नीचे दर्शाये गये अनुसार साक्षियों की उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

अनुक्रमांक	नाम	पता	पिता/पति का नाम	हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	डॉ. संध्या चतुर्वेदी	एम.आई.जी. 34 इंदिरा नगर कल्याण पुर कानपुर (उ.प्र.)	श्री यतीन्द्र नाथ चतुर्वेदी	संध्या चतुर्वेदी
2	श्री अनुराग सीठा	जूनियर एम.आई.जी 6/7 अंकुर काम्प्लेक्स भोपाल (म.प्र.)	डा. आर.पी. सीठा	अनुराग
3	श्री संतोष चौबे	22/E-7 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)	स्व. जगन्नाथ प्रसाद चौबे	
4	श्रीमती विनीता देवी	E-8/54 भरत नगर, शाहपुरा भोपाल	श्री जयकृष्ण चतुर्वेदी	Vinita Devi
5	श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी	प्लॉट नं. 7 सेवाय सावन होशंगाबाद रोड भोपाल (म.प्र.)	श्री एस.के. चतुर्वेदी	
6	श्री अमिताभ सक्सेना	पी-8 श्रीराम नगर फेस II जैन मंदिर के सामने टी.वी. टावर रोड शंकर नगर रायपुर	श्री आर.सी.सक्सेना	Saxena
7	श्री राजेश तिवारी	D-18 सेक्टर 2 देवेंद्र नगर रायपुर (छत्तीसगढ़)	श्री एस.सी. तिवारी	
8	श्रीमती संगीता	A-78, आर्यनगर सोसायटी प्लॉट नं 91 इंदप्रस्थ एक्सटेंशन पटपड़गंज नई दिल्ली	श्री अरविंद कुमार	संगीता

पंजीयक संस्थाएं छत्तीसगढ़ शासन

यह पंजीयन के समय प्रस्तुत की गई ज्ञापन की प्रति है। प्रबंध समिति की प्रमाणित प्रति नहीं है।

तारीख : 11/08/2002

साक्षी

हस्ताक्षर :

नाम : डॉ. योगेशानन्द

पूर्ण पता : सागर कुंज बंगला नं.-11 कोलार रोड भोपाल (म.प्र.)

प्रति : सोसायटी के रजिस्ट्रार
रायपुर
छत्तीसगढ़

पंजीयन अधिनियम 1973 की धारा 6 की उपधारा (3) के अनुसार ज्ञापन पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न है

14/8/02

(डी० एल० धुर्वे)
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाऐं छत्तीसगढ़
रायपुर

साक्षी

हस्ताक्षर :

नाम : विजय कुमार सिंह

पूर्ण पता : 65, लव कुश नगर भोपाल

10 Rs.



सेवा - ऑफ इंडिया सोसायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड
कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी (आई सेक)
1 स्टेडियम अपार्टमेंट, आई गलियारे होक के सामने
शंकर नगर रायपुर (छ.ग.) पिनकोड
क्रमांक छ.ग.-२५७७- 208 दिनांक 14/8/2002 को
पंजीकृत की गई है। संगठन का संशोधित उपनियम
नियमों के साथ संलग्न है।

पंजीयक संस्थाएं
छत्तीसगढ़ शासन

(डी० एल० ध्रुव)
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़
रायपुर
28/8/02

आवेदन क्रमांक 642/02
28/8/2002

नियमावली

(1) **संस्था का नाम** - ऑल इंडिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूटर टैक्नोलॉजी (आईसेक्ट) होगा

(2) **संस्था का कार्यालय** -1 सृष्टि अपार्टमेंट, म. न. शाह नर्सिंग होम के सामने, शंकर नगर मोहल्ले का नाम रायपुर तहसील रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

(3) **संस्था का कार्यक्षेत्र** - संपूर्ण भारत होगा।

(4) **संस्था का उद्देश्य** -

1. इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटर एवं नई तकनीक के उपयोग से संबंधित जानकारी का साधारण जनता में प्रचार प्रसार करना।
2. स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को इलेक्ट्रानिक्स कम्प्यूटर एवं नई तकनीक से संबंधित विषयों की जानकारी देना।
3. प्रदर्शनी, सेमीनार और प्रचार माध्यमों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर एवं नई तकनीक के उपयोग की जानकारी देना।
4. पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटर एवं नई तकनीक संबंधी ज्ञान देना।
5. इच्छुक व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटर इत्यादि के चयन विकास इत्यादि के बारे में जानकारी देना।
6. इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर एवं तकनीक विषयों पर पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।
7. ऑडियो और वीडियो साधनों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर एवं नई तकनीक से संबंधित विषयों का प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षण देना।
8. इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर नई तकनीक एवं व्यावसायिक शिक्षण के लिये केन्द्रों स्कूलों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय की स्थापना करना एवं उनके उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना।
9. महिलाओं और बच्चों के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर एवं नई तकनीक के प्रशिक्षण तथा प्रचार के प्रसार करना।
10. आदिवासियों, हरिजनों अल्पसंख्यकों और कमजोर तबकों के बीच तकनीक के प्रचार एवं प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था करना।
11. ग्रामीण क्षेत्रों में नई तकनीक के प्रचार प्रसार के विशेष प्रयास करना।
12. नई तकनीकों के क्षेत्र में शोध विकास एवं सलाहकार सेवायें प्रदान करना।
13. समान उद्देश्यों वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंध स्थापित करना और उनके तथा अपने सदस्यों के बीच लिंक के रुप में काम करना।

(5) **सदस्यता** - संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे।

(अ) **सरंक्षक सदस्य** - संस्था को जो व्यक्ति दान के रुप में रुपये 10,000/- या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा व प्रबंध कारिणा समिति को मान्य होगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) **आजीवन सदस्य** - जो व्यक्ति संस्था को दान के रुप में रुपये 5,000/- या अधिक देगा व प्रबंधकारिणी समिति को मान्य होगा वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 5,000/- या अधिक देकर संरक्षक बन सकता है।

(स) **साधारण सदस्य** - जो व्यक्ति 1,000/- प्रति माह रुपये 12,000/- प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रुप में देगा व प्रबंध कारिणी समिति को मान्य होगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये उसने चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना सन्तोषजनक कारणों के छः माह तक देय चन्दा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) **सम्मानीय सदस्य** - संस्था की प्रबन्धकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

(ई) **संस्थागत सदस्य** - कोई भी संस्था जो 10,000/- प्रतिवर्ष चंदे के रुप में देगी एवं प्रबंधकारिणी समिति को मान्य होगी, आईसेक्ट की संस्थागत सदस्य बन सकेगी।

(6) **सदस्यता की प्राप्ति** - प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रुप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबन्धकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदनपत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार रहेगा।

(7) **सदस्यों की योग्यता** - संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्न लिखित योग्यता होना आवश्यक है :

(1) आयु 18 वर्ष से कम न हो (2) भारतीय नागरिक हो (3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा का हो (4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

(8) **सदस्यता की समाप्ति** - संस्थ की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी।

(1) मृत्यु हो जाने पर (2) पागल हो जाने पर (3) संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर (4) त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर (5) चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रुप में देना होगी

(9) **संस्था कार्यालय** में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय

(2) वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.

(3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो

(4) तारीख सहित हस्ताक्षर

(10)

(अ) **साधारण सभा**- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति द्वारा निश्चित कर 15 दिवस

पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में करें एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराये।

(ब) **प्रबन्धकारिणी सभा** : प्रबन्धकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों का होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।

(स) **विशेष** - यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों लिखित रुप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 4-5 दिन के भीतर भेजा जावेगी। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

(11) **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य** - (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना (ख) संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना। (ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना। (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो। (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना। (छ) बजट का अनुमोदन करना।

(12) **प्रबन्धकारिणी का गठन** - ट्रस्टीज यदि कोई हों समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 (अ,ब,स) में दर्शाये गये सदस्यों द्वारा जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य 3

(13) **प्रबन्ध समिति का कार्यकाल** - प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति यथेष्ट कारण होने पर, उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

(14) **प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य** -

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(ई) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।

(च) संस्था की समस्त चल अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं की जाएगी।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों के 2/3 मत से संशोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

(15) **अध्यक्ष के अधिकार** - अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठक का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

(16) **उपाध्यक्ष के अधिकार** - अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोगा करेगा।

(17) **सचिव (मंत्री) के अधिकार** -

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।

(2) समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

(4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रुपये 50,000/- करने का अधिकार होगा।

(5) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल-अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(6) समिति के कार्य से यात्रा करना एवं उसका निर्धारण करना।

(7) समिति और उससे संबंधित सभी संस्थाओं का प्रशासनिक कार्यभार स्वंय के द्वारा या स्वयं के द्वारा चयनित कर्मचारियों के द्वारा चलाना।

(8) संस्था की गतिविधियों की योजना बनाना और उनके चलाने की व्यवस्था करना।

(9) संस्था की और से सेमीनार, कान्फ्रेस, मीटिंग इत्यादि में भाग लेना।

(10) संस्था की और से लोन लेना और चुकाना।

(11) संस्था के द्वारा किये जाने वाले कार्यो की फीस निर्धारित करना दान लेना, फीस की वसूली करना, तथा चंदे इत्यादि की प्राप्ति।

(12) सोसायटी के अनौपचारिक शीघ्र कार्यकारी के रुप में कार्य करना, जिसके लिये, राशि होने पर वह कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित ऑनरेरियम का अधिकारी होगा।

(17) (क) **संयुक्त सचिव के अधिकार** - सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव सचिव के कार्य करेगा।

(18) **कोषाध्यक्ष के अधिकार** - समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत करना।

(19) **बैंक खाता** - संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये 10,000/- रहेंगे।

(20) **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी** - अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारुप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी। तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परिक्षित लेखा मय-नियम शुल्क के साथ भेजी जायेगी।

(21) **संशोधन** - संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय नियत शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी।

(22) **विघटन** - संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

(23) **सम्पत्ति** - संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर)रजिस्ट्रार फार्म्स एवं संस्थाऐं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा दान दारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या आंतरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जावेगी।

(24) **बैंक खाता** - संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी जहां संस्था का अकाउंट खोला जावेगा एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

(25) **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना** - संस्था की पंजीकृत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फार्म्स एवं संस्थाऐं को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही वह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

(26) **विवाद** - संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को सन्तोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद निर्णय के लिये भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

पंजीयन आज्ञा दिनांक 21/08/2008 विधान पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि 14/8/2002

28/8

(डी० ए० धुर्वे)
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाऐं छत्तीसगढ़
रायपुर

10 Rs.



संस्था – ऑल इंडिया सोसायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी (आईसेट)
1 सृष्टि अपार्टमेंट, आर. मसिंग होम के सामने
सेक्टर नगर रायपुर, द्वारा पिताजी पैसीफिक
क्रमांक द्वारा रायपु – 208 दिनांक 14/8/2002 को
पंजीकृत की गई है। विधान की प्रमाणित प्रतिलिपि
संलग्न है।

पंजीयक संस्थाएं
छत्तीसगढ़ शासन

(डॉ० एल० धुर्वे)
सहायक पंजीयक
कम्पनी एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़
रायपुर
28/8/02